भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1991

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटनाएं

1991. श्री खलीलुर रहमान:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की संख्या दर्ज की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने पर अंकुश लगाने और दुर्घटनाओं की आशंका को खत्म करने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के मामले में नागरिक सहायता सुनिश्चित करने और घायलों की सहायता करने पर उन्हें होने वाले अनुचित उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए क्या पहल की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से 2024 के लिए देश में सड़कों की सभी श्रेणियों पर सड़क दुर्घटनाओं का विवरण अनुलग्नक-I पर संलग्न है।

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 मुख्य साधन है जिसके माध्यम से देश में सड़क परिवहन को विनियमित किया जाता है। मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 सड़क सुरक्षा पर केंद्रित है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यातायात उल्लंघनों के लिए दंड में संशोधन, किशोर द्वारा ड्राइविंग के लिए बढ़ा हुआ दंड, वाहन फिटनेस और ड्राइविंग टेस्ट का कम्प्यूटरीकरण/स्वचालन, दोषपूर्ण वाहनों को वापस लेना, तृतीय पक्ष के बीमा को सुव्यवस्थित करना आदि शामिल हैं। संशोधन ने सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार और जीवन की हानि को कम करने के लिए कानून को सुदृढ़ किया है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 112 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार विभिन्न श्रेणी की सड़कों पर मोटर वाहनों के वर्ग के संबंध में अधिकतम गति तय करती है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 183 की उप-धारा (1) में दिया गया है 'जो कोई धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा के उल्लंघन में मोटर यान चलाएगा या अपने द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से या अपने नियंत्रण में किसी व्यक्ति से चलवाएगा वह निम्नलिखित रीति से दंडनीय होगा: -

(i)जहां ऐसा मोटर वाहन हल्का मोटर वाहन हो, वहां जुर्माना एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, बल्कि दो हजार रुपये तक हो सकता है;

(ii)जहां ऐसा मोटर वाहन मध्यम मालवाहक वाहन या मध्यम यात्री वाहन या भारी मालवाहक वाहन या भारी यात्री वाहन हो, वहां जुर्माना दो हजार रुपये से कम नहीं होगा, बल्कि चार हजार रुपये तक हो सकता है; और

(iii)इस उपधारा के तहत दूसरे या उसके बाद के किसी भी अपराध के लिए, ऐसे चालक का ड्राइविंग लाइसेंस धारा 206 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार जब्त कर लिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ निकटवर्ती सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने के उपायों के लिए आईआरसी:99-2018 में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, जिसमें विभिन्न यातायात उपायों जैसे रंबल स्ट्रिप, स्पीड बम्प्स, स्पीड टेबल/रेज्ड पैदल यात्री क्रॉसिंग आदि शामिल हैं।

सरकार ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर 4ई अर्थात शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों की), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित एक बहुआयामी कार्यनीति तैयार की है। तदनुसार, देश में सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न पहल की गई हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 को अगस्त, 2019 में अधिनियमित किया गया, धारा 134क नेकदिल नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है अर्थात एक व्यक्ति, जो स्वेच्छा से और बिना किसी इनाम या मुआवजे की अपेक्षा के सद्भावपूर्वक पीड़ित को दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करता है या ऐसे पीड़ित को अस्पताल ले जाता है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 134क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने नियम 168: नेकदिल नागरिकों के अधिकार और नियम 169: सा.का.नि. 594(अ) दिनांक 29.09.2020 के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के तहत नेकदिल नागरिकों की जांच-पड़ताल, के रूप में नेकदिल नागरिकों के कानूनी संरक्षण के लिए नियम भी अधिसूचित किए हैं। ये नियम नेकदिल नागरिकों को सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने के लिए उनके द्वारा किए गए कृत्यों पर उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करते हैं।

इस योजना का उद्देश्य आम जनता को आपातकालीन स्थितियों (अर्थात् ऐसी स्थितियां जिनमें बड़ी सर्जरी या अस्पताल में न्यूनतम तीन दिन तक भर्ती होना या मस्तिष्क की चोटों या रीढ़ की हड्डी की चोटों के शामिल हैं) में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित करना है निर्दोष जीवन बचाने के लिए दूसरों को प्रेरित करती हैं। योजना के संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 21.04.2025 को जारी किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक नेकदिल नागरिक (राह-वीर के रूप में नाम परिवर्तन) को प्रति घटना 25000/- रु. का इनाम और एक प्रशंसा प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है, जो एक वर्ष में एक व्यक्ति को अधिकतम 5 पुरस्कारों तक सीमित है। यह योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से लागू की जाती है।

अनुलग्नक - I

'सड़क दुर्घटनाएं' के संबंध में श्री खलीलुर रहमान द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1991 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

2020 से 2024 तक भारत में सड़क दुर्घटनाओं की राज्य-वार संख्या						
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	आंध्र प्रदेश	19,509	21,556	21,249	19,949	19557
2	अरुणाचल प्रदेश	134	283	227	287	277
3	असम	6,595	7,411	7,023	7,421	7848
4	बिहार	8,639	9,553	10,801	11,014	11610
5	छत्तीसगढ़	11,656	12,375	13,279	13,468	14857
6	गोवा	2,375	2,849	3,011	2,846	2682
7	गुजरात	13,398	15,186	15,751	16,349	15588
8	हरियाणा	9,431	9,933	10,429	10,463	9806
9	हिमाचल प्रदेश	2,239	2,404	2,597	2,253	2156
10	झारखंड	4,405	4,728	5,175	5,315	5196
11	कर्नाटक	34,178	34,647	39,762	43,440	43062
12	केरल	27,877	33,296	43,910	48,091	48834
13	मध्य प्रदेश	45,266	48,877	54,432	55,327	56669
14	महाराष्ट्र	24,971	29,477	33,383	35,243	36118
15	मणिपुर	432	366	508	398	299
16	मेघालय	214	245	246	223	269
17	मिजोरम	53	69	133	106	118
18	नागालैंड	500	746	489	303	129
19	ओडिशा	9,817	10,983	11,663	11,992	12375
20	पंजाब	5,203	5,871	6,138	6,269	6063
21	राजस्थान	19,114	20,951	23,614	24,694	24838
22	सिक्किम	138	155	211	182	149
23	तमिलनाडु	49,844	55,682	64,105	67,213	67526
24	तेलंगाना	19,172	21,315	21,619	22,903	25986
25	त्रिपुरा	466	479	575	577	578
26	उत्तराखंड	1,041	1,405	1,674	1,691	1747
27	उत्तर प्रदेश	34,243	37,729	41,746	44,534	46052
28	पश्चिम बंगाल	10,863	11,937	13,686	13,795	13,700
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	141	115	141	143	135
30	चंडीगढ़	159	208	237	182	169
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	100	140	196	182	152
32	दिल्ली	4,178	4,720	5,652	5,834	5657

33	जम्मू और कश्मीर	4,860	5,452	6,092	6,298	5808
34	लद्दाख	एनए	236	374	289	264
35	लक्षद्वीप	1	4	3	1	0
36	पुडुचेरी	969	1,049	1,181	1,308	1431
कुल (संपूर्ण भारत)		**3,72,181**	**4,12,432**	**4,61,312**	**4,80,583**	**4,87,705**

टिप्पण: 1. कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के डेटा का मिलान किया गया है।

2. वर्ष 2024 के लिए पश्चिम बंगाल का डेटा ईडीएआर पोर्टल से दिनांक 08.12.2025 की स्थिति के अनुसार लिया गया है।

अनुलग्नक - II

'सड़क दुर्घटनाएं' के संबंध में श्री खलीलुर रहमान द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1991 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

सड़क सुरक्षा के लिए सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण:-

(1) शिक्षा:

i. पूरे देश में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू करना। हाल ही में, संशोधित योजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि और पात्रता मानदंडों को सुव्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण-परीक्षण क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों (डीटीआई) के साथ मिलकर स्वचालित परीक्षण केंद्र (एटीएस) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की गई है।
ii. सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए सड़क सुरक्षा समर्थन योजना संचालित करता है।
iii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाना।

(2) इंजीनियरिंग:

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

i. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का तृतीय पक्ष के लेखा परीक्षक/विशेषज्ञों के माध्यम से सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि में कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित करने और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता देना।
iii. मंत्रालय के अधीन आने वाली सड़क स्वामित्व एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की देखरेख करने के लिए अभिहित किया गया है।
iv. पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार गृह स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना शुरू की गई है।
v. एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइनेज के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।

vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में विफल रहने के बारे में मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहलें की गईं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान।

ii. मोटर साइकिल पर सवारी करने या उस पर ले जाए जाने वाले चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित निर्धारित मानदंड। इसमें सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को भी निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखा गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के फिटमेंट के लिए अनिवार्य प्रावधान:-

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

क. ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)

ख. सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड

ग. अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

क. रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए अनिवार्य एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. दो पहिया, तिपहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल, एंबुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति सीमित करने वाली विशिष्टता/गति सीमित करने वाला उपकरण अनिवार्य किया गया।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए गए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। इन नियमों में दिनांक 31.10.2022 और दिनांक 14.03.2024 को और संशोधन किया गया है।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की गई और पुराने, अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया गया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांचने के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की एक योजना तैयार की गई।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा को शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के विनिर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से अधिक नहीं के सकल वाहन भार वाला माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक सकल वाहन भार वाला माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन के लिए अनिवार्य एयर कंडीशनिंग प्रणाली लगाना अनिवार्य किया गया।

xii. एम, एन और एल7 श्रेणी के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबलियों, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और नियंत्रण प्रणाली संस्थापन के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमांइडर के मानकों के संशोधन के लिए 1 अप्रैल 2025 को नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहनों को एआईएस-145-2018 के अनुसार आगे की ओर वाली सभी पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करना होगा।

xiii. मध्यम और भारी शुल्क वाहनों में सक्रिय सुरक्षा सुविधाओं के लिए प्रकाशित नियम, जो एम2, एम3, एन1, एन2, एन3 और क्वाड्रिसाइकिल (1 जनवरी, 2027 से नए मॉडल के लिए और 1 अक्टूबर, 2027 से मौजूदा मॉडल के लिए प्रभावी) के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग, एंड्योरेंस ब्रेकिंग सिस्टम सहित ब्रेकिंग सिस्टम, और वाहन स्थिरता फंक्शन (वीएसएफ), लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली (एलडीडब्ल्यूएस), ड्राइवर का उनींदापन और ध्यान चेतावनी प्रणाली, ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली और एम2, एम3, एन2 और एन3 श्रेणियों के वाहनों के लिए चेतावनी सूचना प्रणाली (1 अक्टूबर, 2027 से नए मॉडल के लिए और 1 जनवरी, 2028 से मौजूदा मॉडल के लिए प्रभावी) प्रदान करते हैं।

(3) प्रवर्तन

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान करता है। यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। जबकि केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाती है, इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

ii. सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए गए। ये नियम भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत आने वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के लिए विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।

iii. सरकार ने पूंजी निवेश 2025-26 के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई 2025-26) के अंतर्गत सड़क सुरक्षा के इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रोत्साहन हेतु 3,000 करोड़ रुपये (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर) के आवंटन के साथ दिशानिर्देश जारी किए हैं।

iv. 10 जून, 2024 को सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी जारी की है।

(4) आपातकालीन देखभाल:

i. नेक व्यक्ति (गुड समारिटन) की सुरक्षा के लिए योजना (राह-वीर) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है, जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से और बिना किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा के दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करते हैं या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुँचाते हैं। योजना के अनुसार, राह-वीर के लिए पुरस्कार राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है।

ii. हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर पर टोल प्लाजा पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस का प्रावधान किया है।

iv. सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 5 मई, 2025 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025 को अधिसूचित किया है। प्रक्रिया प्रवाह, हितधारक-वार मानक संचालन प्रक्रियाओं और स्पष्ट रूप से चित्रित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित विस्तृत दिशानिर्देश भी 4 जून, 2025 को अधिसूचित किए गए हैं।

****